

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

॥ ज्ञापन ॥

29 JUL 2026

क्रमांक/ 5912 /मीटिंग/ 2026

उज्जैन, दिनांक -

प्रति,

प्रवर्तन लिपिक,
समस्त न्यायालय,
जिला मुख्यालय उज्जैन म.प्र.।

विषय - न्यायालयों से जारी रिहाई आदेश को ई-मेल के साथ-साथ सीआयएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी जनरेट किये जाने के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बाबत।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला न्यायालय उज्जैन के न्यायालयों से जारी रिहाई आदेश को ट्रायल बेस पर ई-मेल के साथ-साथ सीआयएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी जनरेट किये जाने हेतु 03 न्यायालयों को मॉडल कोर्ट बनाया गया था।

उक्त मॉडल कोर्ट द्वारा न्यायालयों से जारी रिहाई आदेश को ई-मेल के साथ-साथ सीआयएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी जारी किया जा रहा है।

न्यायालयों द्वारा रिहाई आदेश को सीआयएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट किये जाने हेतु दिनांक 08.08.2026 को प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे व्ही.सी. कक्ष, द्वितीय तल, लाईब्रेरी के पास, जिला उज्जैन में प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

अतः आप उपरोक्त प्रशिक्षण में दिनांक 08.08.2026 को प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे व्ही.सी. कक्ष, द्वितीय तल, लाईब्रेरी के पास, जिला उज्जैन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहना सुनिश्चित करें।


वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन जिला (म.प्र.)

क्रमांक / ५१२ / मीटिंग / 2026

उज्जैन, दिनांक -

प्रतिलिपि- 01. प्रवर्तन लिपिक, तहसील न्यायालय बड़नगर/नागदा/खाचरौद/महिदपुर/तराना की ओर दिनांक 08.08.2026 को प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे वचुअल/ऑनलाईन माध्यम से उपरोक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित रहना सुनिश्चित करें।

02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/सिस्टम असिस्टेंट/आई.टी. असिस्टेंट, जिला न्यायालय उज्जैन एवं तहसील न्यायालय बड़नगर/नागदा/खाचरौद/महिदपुर/तराना की ओर दिनांक 08.08.2026 को प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे उपरोक्त प्रशिक्षण में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन जिला (म.प्र.)